

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी/जोन-भरतपुर/एफ.17693/2024/394 दिनांक : 23-05-24

आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ.15(1)/एफडी/रूल्स/2017 दि० 30.10.2017 एवं 9.12.2017 में उपलब्ध प्रावधानानुसार के अनुसार निम्नलिखित कार्मिको को राज्य सेवा में 09 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण किये जाने पर उनके नामो के सम्मुख अंकितानुसार .ए.सी.पी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	पूर्ण सेवावधि	एसीपी स्वीकृति तिथि	पे मेट्रिक्स लेवल
1.	श्री विनोद कुमार वर्मा, कनिष्ठ सहायक	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर।	14.05.2010	09 वर्ष	14.05.2019	एल-08

- नोट:-** 1- उपरोक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण एसीपी स्वीकृति के फलस्वरूप संबन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।
2- उक्त कार्मिक को एसीपी का नगद लाभ टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथी 08.08.2022 से देय होगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/एसीपी/जोन-भरतपुर/एफ.17693/2024/394 दिनांक : 23-05-24
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर।
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- संबन्धित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
7252502

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :22-05-2024 05:58:56